झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. कर का उदग्रहण और भार।
4. कल्याण कोष में कर का विनियोजन।
5. कर्मचारियों के तरफ से कर कटौती तथा कर भुगतान करने का नियोक्ता का दायित्व।
6. कर का भुगतान।
7. निबंधन एवं नामांकन।
8. विवरणी।
9. करदाता का कर–निर्धारण।
10. छूट गये अथवा अव–निर्धारित कर–निर्धारण एवं लेखा–परीक्षा संप्रेषण।
11. कर कटौती अथवा भुगतान में चूक करने का परिणाम।
12. कर का भुगतान नहीं करने हेतु शास्ति।
13. कर आदि की वसूली।
14. अपील।
15. पुनरीक्षण।
16. लेखा।

17. विशेष रीति।

18. कर की वसूली जहाँ नियोक्ता के व्यापार, आजीविका आदि का हस्तान्तरित किया गया है।

19. लेखों और दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण एवं निरीक्षण तथा परिसर की तलाशी।

20. आधिक्य की कर–वापसी।

21. अपराध एवं शास्ति।

22. कम्पनियों द्वारा अपराध।

23. कार्यवाही के स्थानान्तरण की शक्ति।

24. अपराधों का प्रषमन।

25. हाजरी आदि कार्यान्वित करने की शक्ति।

26. न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन।

27. सद्भाव विचार से की गई कार्रवाई का संरक्षण।

28. प्रत्यायोजन की शक्ति।

29. अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति।

30. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वृत्तिकर की उगाही नहीं करना।

31. नियमावली बनाने की शक्ति।

32. निरसन और व्यावृत्तियाँ।

33. विधिमान्यकरण एवं विमुक्ति।

34. विमुक्त करने की शक्तियाँ।

35. कठिनाईयों के निवारण की शक्तियाँ।

झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करारोपण हेतु एक विधेयक

प्रस्तावना:–

चूँकि राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक कोष सृजित करने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि राज्य निधि में संसाधनों की वृद्धि हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाएं जाए तथा वृति, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करारोपण हेतु प्रावधान किए जाए;

एतद द्वारा भारत के गणतंत्र के बासठवें वर्ष में झारखंड के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो : –

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ** – (1) यह अधिनियम झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जानेवाली तिथि से प्रवृत होगा।

2. **परिभाषाएँ** – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) अपीलीय प्राधिकारी से अभिप्रेत झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है।

(ख) **"करदाता"** से अभिप्रेत है एक व्यक्ति या नियोक्ता जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देय है।

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य–कर आयुक्त या वाणिज्य कर अपर आयुक्त और इसमें झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये आयुक्त की सभी या कोई भी शक्तियाँ या कर्त्तव्य प्रदत्त करे।

(घ) **"कर्मचारी"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो वेतन या मजदूरी के आधार पर नियोजित है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: ––

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का एक कर्मचारी जिसके वेतन का भुगतान भारत या किसी राज्य की संचित कोष या रेलवे कोष से किया जाता है;

(ii) किसी निकाय की सेवा में कोई व्यक्ति, निगमित या नहीं, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में जहां निकाय राज्य के किसी भी हिस्से में संचालित है, हालांकि इनके मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित हो सकते हैं;

(iii) किसी कम्पनी की सेवा में कोई व्यक्ति निगमित या नहीं, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित या बोर्ड, स्थानीय प्राधिकार, कॉरपोरेशन, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कम्पनी या अन्य बैंकों, बीमा कम्पनियों या ऐसे सभी संगठनों, सोसाईटी, होटलों, सहकारी संस्थाओं, विदेशी कम्पनियों ज्वाइंट वेंचर सहित कम्पनी जो व्यक्ति को वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान पर नियुक्त करते हैं एवं इस उद्देश्य के लिए स्वनियोजन या स्वनियोजित भी सम्मिलित हैं।

(iii) कोई अन्य व्यक्ति, किसी नियोक्ता की किसी भी रोजगार में संलग्न, परन्तु उपर्युक्त मद (i) और (ii) से आच्छादित नहीं है;

(ङ) नियमित आधार पर कोई वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में –

"नियोक्ता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या अधिकारी जो ऐसे वेतन या मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, और इसमें किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान के प्रमुख के साथ ही नियोक्ता का प्रबंधक या एजेंट शामिल होता है;

(च) **"रोजगार"** से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में हो, या उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे वह राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्व या

नियन्त्रण में है, पर्षदों, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनियों एवं अन्यथा बैंकों, बीमा कंपनियों या ऐसे सभी संगठनों, में की गई है जो वेतन या मजदूरी का भुगतान कर व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और इस प्रयोजन के लिए स्वरोजगार या स्वनियोजित को भी शामिल किया जाता है।

(छ) किसी भी वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार के संबंध में **"संलग्न"** से अभिप्रेत है: ऐसे वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार में पूर्णतः या अन्यथा व्यस्त; चाहे ऐसे पेशे से कोई भी आर्थिक लाभ या किसी भी प्रकार का लाभ, वास्तव में होता है या नहीं।

(ज) **"सरकार"** से अभिप्रेत है झारखंड की राज्य सरकार

(झ) **"स्थानीय प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं –

(क) नगर निगम
(ख) नगरपालिका
(ग) अधिसूचित क्षेत्र समिति
(घ) छावनी पर्षद
(झ) नगर पंचायत, या
(ङ) नगर पर्षद
(च) खान पर्षद
(छ) नगर पालिका पर्षद
(ज) ग्राम पंचायत

कोई अन्य स्थानीय प्राधिकार या कोई भी प्राधिकार, तत्समय प्रचलित कानून के अंतर्गत गठित या जारी, चाहे उसे किसी भी नामावली से जाना जाता है।

(ञ) **"महीना"** से अभिप्रेत है, एक कैलेंडर महीना और एक महीने से कम की अवधि के संबंध में, इसकी गणना अनुपात में की जाएगी।

(ट) **"अधिसूचना"** से अभिप्रेत है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना।

(ठ) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है झारखंड राज्य में कोई भी व्यक्ति जो किसी वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार में लगा हुआ है या व्यवसाय में लगा हुआ है या कोई व्यवसाय करता है; और इसमें शामिल है एक हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, विदेशी कंपनी, निगम अथवा अन्य निगमित निकाय, सहकारी समिति सहित कोई समिति, क्लब या संघ, जो इस प्रकार शामिल हो लेकिन इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो आकस्मिक आधार पर मजदूरी अर्जित करता हो:

व्याख्या I : फर्म, कंपनी, विदेशी कंपनियाँ, निगम या अन्य निगमित निकाय,

कोई भी समिति (सोसाइटी), क्लब या संघ की प्रत्येक शाखा को एक व्यक्ति समझा जायेगा भले ही उसका मुख्य व्यवसाय राज्य स्थित है या नहीं;

व्याख्या II : फर्म का अर्थ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत अथवा नहीं;

व्याख्या III : एक व्यक्ति को किसी वृति, व्यापार या आजीविका का प्रयोग किया या राज्य के भीतर एक नियुक्ति प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, यदि उस व्यक्ति का राज्य के भीतर एक कार्यालय या रोजगार हो।

(ड) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ढ) **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के खंड (2) के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये ऐसे प्राधिकारियों को उक्त अधिसूचना के द्वारा या अंतर्गत, संगत प्रविष्टियों में अंकित विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन करने के लिये नियुक्त और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।

(ण) **"तिमाही"** से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही।

(त) **"वेतन या मजदूरी"** में शामिल है वेतन, महंगाई भत्ते और नियमित आधार पर किसी करदाता द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में देय हो और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 में परिभाषित वेतन के बदले में अनुलाभ और लाभ शामिल हैं, लेकिन किसी खाते में किसी भी रूप में बोनस या उपादान या पेंशन शामिल नहीं हैं।

(थ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

(द) **"राज्य"** से अभिप्रेत है झारखंड राज्य

(ध) **"कर"** से अभिप्रेत है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर इस अधिनियम के अधीन देय कर

(न) "**व्यवसाय करना**" कथन में किसी भी प्रकृति के कारोबार (व्यवसाय), चाहे पृथक हो या नहीं, जैसे कि ऑर्डर की मांग करना, प्राप्त करना या भेजना या मालों को खरीदना, तैयार करना, निर्माण करना, निर्यात करना, आयात करना, वसूली करना, भेजना या अन्यथा उनका सौदा करना समझा जाएगा।

(न) **"न्यायाधिकरण"** से अभिप्रेत है झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण।

(प) **"कल्याण कोष"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्मित "झारखंड कल्याण कोष", राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से सृजित।

(फ) **"वर्ष"** का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष और एक वर्ष से कम की अवधि के संबंध में इसकी गणना अनुपात में की जाएगी।

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और कथनों का वही अर्थ होगा जो उनके लिये झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 और उनके बाद बने नियमों में निर्दिष्ट है।

3. **कर का उद्ग्रहण और भार** – (1) भारत के संविधान की अनुच्छेद 276 और इस धारा की उप–धारा (3) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो किसी वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों का प्रयोग करता है या व्यवसाय चलाता है उसके ऊपर राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए, कर का प्रभार होगा और उसे उद्ग्रहित किया जायेगा।

(2) किसी वृति, व्यापार, आजीविका और रोजगार में सक्रिय रूप से या अन्यथा संलग्न और अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में वर्णित एक या अन्य वर्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के वर्गों के लिये उक्त अनुसूची के तीसरे स्तंभ में वर्णित दर से राज्य सरकार को कर देय होगा।

परन्तु यह कि, किसी व्यक्ति के संबंध में इस तरह का देय कर संविधान के अनुच्छेद 276 के कंडिका–2 में विहित बंधेजों के अध्यधीन होगा।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में कर की अलग–अलग दर या दरें निर्दिष्ट कर सकती हैं।

(3) (i) जिस व्यक्ति का वेतन प्रति महीने तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है उसके द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।

(ii) केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल में नियोजित व्यक्तियों द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।

4. **कल्याण कोष में कर का विनियोजन** – (1) इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपित और उद्ग्रहित कर को इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (प) के अंतर्गत निर्मित कल्याण कोष में विनियोजित किया जायेगा।

(2) धारा 3 और 5 के अंतर्गत देय कर उस समय तक लगाये जायेंगे जब तक यह राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

(3) 'कल्याण कोष' से होने वाली आय का उपयोग सिर्फ राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार, इस संबंध में जारी अधिसूचना द्वारा, यथा अधिसूचित उपयुक्त लेखा शीर्षों में या ऐसे बैंक खाता में कर जमा करने की विधि निर्दिष्ट करेगा।

(5) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी, जो इस धारा के उद्देश्य पूर्ति हेतु कल्याण कोष के व्यय के तरीके निर्धारित करेगी।

5. कर्मचारियों की तरफ से कर कटौती तथा कर भुगतान करने का नियोक्ता का दायित्व

धारा 6 में यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अंतर्गत वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा देय कर, उसके नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान किये गए मासिक वेतन या मजदूरी से काटा जाएगा, और भले ही ऐसे व्यक्ति को वेतन या मजदूरी का भुगतान करने के समय ऐसी कटौती की गई है या नहीं, ऐसे नियोक्ता को तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों/व्यक्तियों की तरफ से कर के भुगतान का दायित्व होगा।

परंतु यह कि जहां नियोक्ता राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे वे राज्य या केन्द्रीय सरकार, पर्षदों, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनियों, या अन्यथा बैंकों, बीमा कंपनियों, सोसाइटियों (समितियों) या ऐसे सभी संगठनों के स्वामित्व और नियंत्रण में है जो वेतन या मजदूरी के भुगतान के आधार पर व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, नियोक्ता द्वारा उक्त दायित्व का निर्वहन विहित तरीके से किया जायेगा।

परंतु यह भी कि, क्या वेतन या मजदूरी अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति —

(क) अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अलावा एक से अधिक प्रविष्टियों द्वारा आच्छादित है तथा ऐसे किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत कर की दर उस अनुसूची में प्रविष्टि 1 के अधीन कर की दर से अधिक है; अथवा

(ख) एक साथ एक से अधिक नियोक्ताओं के रोजगार से जुड़ा हुआ हो;

और यदि ऐसा व्यक्ति अपने नियोक्ता अथवा नियोक्तागण को विहित प्रारुप के प्रमाणपत्र में घोषणा करता है कि अन्य बातों के साथ–साथ, कि धारा 7 के उप–नियम (2) के अंतर्गत वह नामांकित हो जाएगा तथा कर का स्वयं भुगतान करेगा; ऐसे व्यक्ति का नियोक्ता या नियोक्तागण उसके वेतन अथवा ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कर की कटौती नहीं करेगा, और ऐसे नियोक्ता अथवा नियोक्तागण, मामले के आवश्यकतानुसार ऐसे व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

6. कर का भुगतान – प्रत्येक तिमाही में उनके नामांकन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार निर्धारिति अथवा करदाता के बकाया कर की राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा;–

(क) 30 जून के पूर्व; ऐसे करदाता के मामले में जो वर्ष के प्रारंभ में ही नामांकित हो जाता है अथवा वर्ष में 31 मई को या इसके पूर्व नामांकित होता है;

(ख) नामांकन की तिथि से एक माह के भीतर, ऐसे करदाता के मामले में जो वर्ष में 31 मई के पश्चात नामांकित होते है, विहित तरीके से तथा

(ग) ऐसे अन्य सभी कर दाताओं के लिए, अनुसूची की प्रविष्टि 1 में उल्लेखित कर दाताओं को छोड़कर, तिमाही समाप्त होने के बाद माह के पंद्रहवें दिवस तक।

व्याख्या – इस अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले कर, जो अनुसूची के साथ पठित है, को मासिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा, लेकिन तिमाही के समाप्त हो जाने के उपरांत पंद्रहवें दिवस तक भुगतान किया जा सकेगा।

7. निबंधन एवं नामांकन – (1) उप–धारा (2) के अध्याधीन, प्रत्येक करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु बाध्य है, विहित प्राधिकारी से विहित प्रारुप में निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(2) धारा 5 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, (वेतन अथवा परिश्रमिक का अर्जन करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, जिसके संबंध में नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाना है) इस अधिनियम के तहत कर कर भुगतान करने हेतु बाध्य है, वह भी नामांकन का प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी से विहित प्रारुप में प्राप्त करेगा।

(3) प्रत्येक करदाता को इस धारा के अंतर्गत निम्नानुसार निबंधन अथवा नामांकन का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, –

(क) इस अधिनियम के जारी होने के नब्बे दिनों के भीतर; अथवा

(ख) यदि इसके जारी होने की तिथि में वह किसी पेशे, व्यापार, आजीविका अथवा रोजगार से नहीं जुड़ा है, उसके कर भुगतान करने योग्य होने के साठ दिनों के भीतर;

विहित प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारुप में निबंधन अथवा नामांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा आव यकतानुसार संशोधित नामांकन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करना होगा, तथा विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, आवश्यकतानुसार जाँच के उपरान्त, यदि आवेदन पत्र सभी रूप में सही हो, उसे निबंधन अथवा नामांकन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(4) विहित प्राधिकारी, नामांकन के प्रत्येक प्रमाणपत्र में प्रथम अनुसूची के अनुसार करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर की राशि का तथा इसके भुगतान करने की तिथि का उल्लेख करेगा।

(5) ऐसे मामले में जहाँ करदाता जिसे निबंधन अथवा नामांकन करना अनिवार्य है, जानबूझ कर ऐसे प्रमाणपत्र हेतु नियत अवधि में आवेदन करने में चूक जाता है, उप धारा (3) में दिए अनुसार, विहित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर अर्थदंड अधिरोपित करेगा, जो किसी नियोक्ता के मामले में विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए रुपए दस से कम नहीं तथा रुपए बीस से अधिक नहीं होगा, तथा अन्य के मामले में प्रत्येक दिन की देरी के लिए रुपए पाँच से अधिक नहीं होगा।

(6) ऐसे मामले में जहाँ इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन में करदाता द्वारा, जिसे निबंधन अथवा नामांकन कराना अनिवार्य है, जानबूझ कर गलत जानकारी दी गई है। विहित प्राधिकारी द्वारा उसे सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त उस पर शास्ति लगा सकेगा, जो एक सौ रुपए से कम नहीं तथा एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।

8. विवरणी – (1) प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित है, विहित प्राधिकारी को विहित तिथि तक विहित अवधि अथवा अवधियों के लिए वास्तविक, सही एवं पूर्ण विवरणी, ऐसे विहित प्रारुप में प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा दिए गए वेतन या पारिश्रमिक तथा उसके संबंध में कटौती की गई कर की राशि का उल्लेख होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक विवरणी में दर्शाए गए कर की पूर्ण राशि के भुगतान के साक्ष्य रूप में विवरणी के साथ कोषागार के चालान को संलग्न करना होगा, तथा भुगतान के ऐसे साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किए गए विवरणी को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया नहीं माना जाएगा।

(3) ऐसे मामले में जहाँ करदाता बिना किसी तर्कसंगत कारण के ऐसे विवरणी को नियत अवधि में प्रस्तुत करने से चूक जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा, जो विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए रुपए पचास से कम नहीं तथा रुपए पॉच सौ से अधिक नहीं होगा।

9. करदाता का कर–निर्धारण – (1) यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी सत्य, सही और पूर्ण है, वह स्वनिर्धारण के अनुसार विवरणी को स्वीकार कर सकता है। यदि विवरणी से यह प्रतीत होता है कि वह असत्य या अपूर्ण है, तथा उसके द्वारा समर्पित किए गए विवरणी की सत्यता अथवा सम्पूर्णता प्रमाणित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा आवश्यकतानुसार जाँच करने के बाद, अपने सर्वोत्तम स्वविवेक से ऐसे करदाता का कर–निर्धारण कर सकता है।

(2) किसी करदाता का कर–निर्धारण चार वर्षों के अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से किया जाएगा, जो कर–निर्धारण से संबंधित वर्ष की समाप्ति से प्रारंभ होगा।

(3) ऐसे मामले में जहाँ करदाता स्वयं को निबंधित करने से चूक जाता है अथवा निबंधित होने पर, विवरणी प्रस्तुत करने में चूक जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, तथा आवश्यकतानुसार जाँच करने के बाद, अपने स्वविवेक से कर–निर्धारण हेतु आदेश जारी कर सकता है।

(4) ऐसे रूप में किए गए कर–निर्धारण की राशि का भुगतान, विहित प्राधिकारी से माँग आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर करना होगा।

(5) उप–धारा (1) के अंतर्गत कर–निर्धारण के क्रम में, यदि विहित प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होता है कि छूटा हुआ कर–निर्धारण जानबूझकर जानकारी नहीं देने के कारण अथवा कर–दाता द्वारा कर–अपवंचना की मंशा से किया गया है, विहित प्राधिकारी कर–निर्धारण के कर के अतिरिक्त शास्ति के भुगतान हेतु अनुदेशित कर सकता है जो कि ऐसे कुल निर्धारित कर की राशि के डेढ़ गुना से कम नहीं और कुल निर्धारित कर की राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह कि इस उप–धारा के अंतर्गत ऐसे किसी भी प्रकार का शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा जबतक शास्ति अधिरोपण के पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दिया गया हो।

10. छूट गए अथवा अव–निर्धारित कर–निर्धारण एवं लेखा–परीक्षा संप्रेक्षण – (1) यदि किसी कारणवश इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर छूट गया हो अथवा अल्परूप से कर–निर्धारण किया गया हो अथवा निर्धारित दर से कम दर पर कर का निर्धारण किया गया हो, विहित प्राधिकारी, वाणिज्य–कर आयुक्त को छोड़कर कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के भीतर, किसी भी समय कर–निर्धारण अथवा पुर्नकर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर मामले के अनुसार अपने सर्वोत्तम स्वविवेक से संबंधित कर–दाता को सूचना देने के उपरान्त तथा आवश्यकतानुसार मामले की जाँच के बाद कर का पुर्ननिर्धारण कर सकता है।

परन्तु यह कि, आयुक्त युक्तियुक्त आधार के रहने पर संतुष्ट होने के उपरांत उपर्युक्त चार वर्षों को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ा सकता है।

परन्तु यह भी कि अधिरोपित किया गया कर उस दर से प्रभारित किया जाएगा जो छूट गए कर–निर्धारण नहीं होने की दशा में होता, अथवा मामले के अनुसार, अव–निर्धारित नहीं किया गया होता अथवा निर्धारित कर के दर से कम के दर में निर्धारित नहीं किया गया होता।

(2) ऐसे मामले में जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी कर–निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण के संबंध में संप्रेक्षित किया गया हो, तथा विहित प्राधिकारी इस उक्त संप्रेक्षण से संतुष्ट हो, वह मामले के अनुसार जिस पर संप्रेक्षण किया गया है, करदाता के कर–निर्धारण के पुर्ननिर्धारण की कार्रवाई करेगा।

परन्तु यह कि इस धारा के अंतर्गत, करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

11. कर कटौती अथवा भुगतान में चूक करने के परिणाम – (1) यदि कोई करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) वेतन अथवा पारिश्रमिक के भुगतान के समय कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के उपरान्त, इस अधिनियम के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में चूक जाता है, तो वह –

(क) कर के मामले में संदाय में व्यतिक्रम किया करदाता माना जाएगा।

(ख) प्रत्येक माह तथा उसके अंश पर नही चुकाए गए कर राशि पर विहित दर से सूद के भुगतान का दायी होगा, जिस अवधि का कर बकाया रहा गया है।

(2) यदि कोई नामांकित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत निर्धारित कर का भुगतान करने से चूक जाता है, वह इसकी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट दर एवं रीति से सूद का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

12. कर का भुगतान नहीं करने हेतु शास्ति – यदि किसी करदाता द्वारा बिना किसी तर्कसंगत कारण के कर के भुगतान के व्यतिक्रम होती है अथवा इससे संबंधित माँगपत्र में दिए गए समयावधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तिगत अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो कि देय कर की कुल राशि का पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उक्त शास्ति उप–धारा (1) अथवा धारा 11 की उप–धारा (2) के अंतर्गत भुगतान योग्य सूद के अतिरिक्त होगा।

13. कर आदि की वसूली – इस अधिनियम के अंतर्गत कर का बकाया, शास्ति, सूद अथवा अन्य कोई देय राशि की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

14. अपील – (1) कोई करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट या व्यथित होता है, उस आदेश पारित होने की तिथि से पैंतालिस दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगा।

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समुचित कारणों को देखते हुए किसी अपील को उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पैंतालिस दिनों के उपरांत भी स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) ऐसे किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक की अपील से संबंधित कर एवं सूद सहित भास्ति, यदि कोई हो तो, के 25% का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

(3) अपील इस प्रकार को होगा अथवा इस प्रकार से विहित रीति से विहित प्रपत्र में दाखिल होगा तथा इसके साथ विवादित कर, भास्ति अथवा सूद की राशि की दो प्रतिशत की दर से गणना किए गए शुल्क संलग्न किया गया हो, जो कम से कम रुपए पचास तथा अधिकतम रुपए एक हजार तक होगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं की शर्त के तहतः–

(क) कर–निर्धारण, भास्ति अथवा सूद की, मामले के अनुसार, संपुष्टि, कमी, बढ़ोतरी, अथवा रद्द या तदनुसार संशोधित कर सकेगा;

(ख) कर–निर्धारण, शास्ति अथवा सूद को, मामले के अनुसार रद्द कर सकता है और विहित प्राधिकारी को आगे की जाँच कर, एक नया आदेश पारित करने के लिए अनुदेशित कर सकता है; अथवा

(ग) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत हो।

(5) उप–धारा (4) के अंतर्गत आदेश पारित करने के पूर्व अपीलीय प्राधिकारी ऐसी जाँच कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत होता हो अथवा जाँच के लिए अपने किसी अधीनस्थ विहित प्राधिकारी को किसी विशेष बिन्दु या बिन्दुओं पर प्रतिवेदित करने हेतु मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन अपील पर पारित किए गए प्रत्येक आदेश, धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत, अंतिम होंगे।

15. पुनरीक्षण – (1) आयुक्त चाहे तो, अपने स्वविवेक से अथवा उसे आवेदन प्राप्त होने पर, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की कार्यवाही के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उसकी जाँच कर सकता है, तथा मामले के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी अपने आप को संतुष्ट करने के उद्देश्य से औचित्य की वैद्यता के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत होता हो।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह संबंधित आदेश की प्राप्ति के चार माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा कुल विवादित कर अथवा अर्थदंड की राशि पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान के साथ संलग्न नहीं किया गया हो, जो कम से कम रुपए एक सौ और अधिकतम रुपए दो हजार तक होगा।

(3) पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो करदाता को आदेश तामिला करने की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(4) इस धारा के अंतर्गत ऐसे किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

(5) जहाँ इस धारा के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु आवेदन को आयुक्त द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, वह इसकी अस्वीकृति संबंधित कारणों का प्रलेखन करेगा।

(6) जहाँ इस अधिनियम की धारा 14 एवं इस धारा की उप–धारा (1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया हो, न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

16. लेखा – (1) यदि विहित प्राधिकारी इस तथ्य पर संतुष्ट है कि लेखा–बही तथा अन्य दस्तावेजों को करदाता द्वारा उसके पेशे के सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अनुरक्षित नही किया गया है तथा जिससे अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणियों का सत्यापन करना पर्याप्त नहीं है, विहित प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नियोक्ता को लेखा– बही अथवा अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण हेतु इस रीति से अनुदेशित करे, जैसा कि लिखित रूप से निर्देशित कर सकता है, तथा इसके बाद तदनुसार करदाता द्वारा ऐसे बहियों व अन्य दस्तावेतों का अनुरक्षण किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी करदाता द्वारा जानबूझकर लेखा–बही का अनुरक्षण करने में चूक होती है, जैसा कि उप–धारा (1) में निर्दिष्ट है, विहित प्राधिकारी उसे सुने जाने के तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के

उपरान्त, शास्ति लगा सकता है जो चूक के प्रति दिन के आधार पर रुपए पचास से अधिक नहीं होगा।

17. विशेष रीति – (1) विधि या एकरारनामें में किसी भी प्रकार का समावेश नहीं होते हुए भी अथवा इसके विपरीत, आयुक्त अथवा विहित प्राधिकारी, लिखित सूचना के द्वारा, करदाता को विहित प्राधिकारी द्वारा विदित उसके पिछले पते पर इसकी एक प्रति अग्रेषित करते हुए, ऐसे व्यक्ति को निर्गत कर सकता है, जो

(क) कोई व्यक्ति जिसके समक्ष कोई राशि बकाया है, अथवा किसी करदाता के समक्ष बकाया हो सकता है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत मांग–पत्र निर्गत किया गया हो; अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो करदाता के खाते पर धन रखता हो अथवा धन रख सकता हो, विहित प्राधिकारी को भुगतान करने हेतु, या तो तत्काल आधार पर धन के बकाया होने अथवा धारण करने अथवा निर्दिष्ट सूचना के दिए समय में (लेकिन धन के बकाया होने के पूर्व नहीं अथवा उपरोक्तानुसार धारण पर) जो इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता द्वारा कर के बकाया, शास्ति या सूद के रूप में अदा करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा पूरे राशि के बराबर होने या कम हो।

व्याख्याः इस अधिनियम के उद्देश्य से करदाता का बकाया राशि अथवा धन के धारण, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा करदाता के खाते के धारण से, ऐसे दावों की गणना किसी ऐसे दावों, जो कर दाता द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान देय हो विधिपूर्ण कटौती के उपरांत की जाएगी।

(2) आयुक्त अथवा विहित प्राधिकारी चाहे तो ऐसे किसी सूचना को संशोधित अथवा रद्द कर सकता है, अथवा उसकी अवधि को आगे बढ़ा सकता है जो भुगतान के लिए उस सूचना के अनुक्रम में निर्दिष्ट की गई हो।

(3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन सूचना के अनुपालन में भुगतान करता है, वह करदाता के प्राधिकार के अंतर्गत भुगतान किया हुआ माना जाएगा तथा विहित प्राधिकारी की पावती ऐसे व्यक्ति के सभी दायित्वों के अच्छा एवं पर्याप्त निर्वहन उस पावती में संदर्भित राशि की सीमा तक माना जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा में संदर्भित सूचना की प्राप्ति के उपरान्त करदाता के दायित्वों का निर्वहन करता है, वह विहित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्वहित दायित्व की सीमा तक या इस अधिनियम के अधीन कर दाता के कर–दायित्व की सीमा तक या जो भी कम हो दायी होगा।

(5) कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अंतर्गत कोई सूचना/नोटिस प्रेषित की गई हो, विहित प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि मांग की गई राशि अथवा इसका कोई हिस्सा उसके द्वारा करदाता को देय नहीं है, अथवा यह कि वह किसी भी रूप में करदाता के लिए धन का धारण नहीं करता है, इस धारा के अधीन, ऐसा व्यक्ति उक्त राशि अथवा उसके हिस्से को विहित प्राधिकारी के समक्ष भुगतान करने हेतु बाध्य नही माना जाएगा।

(6) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्राधिकारी को भुगतान किया जाना है अथवा जिसके लिए विहित प्राधिकारी को भुगतान हेतु व्यक्तिगत तौर पर बाध्य है, यदि यह भुगतान नहीं किया गया है, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय है।

18. कर की वसूली जहाँ नियोक्ता के व्यापार, आजीविका आदि का हस्तानांतरित किया गया है– जहाँ करदाता के वृति, व्यापार, आजीविका अथवा के रोजगार का स्वामित्व जो कर देने हेतु दायी है स्थानांतरित हो गया हो, कोई कर, शास्ति अथवा सूद अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत देय अन्य राशि, ऐसे व्यवसाय के संबंध में तथा स्थानांतरण के समय भुगतान नहीं किए गए बकाया

के लिए, बिना किसी पूर्वाग्रह से इसकी वसूली की कार्रवाई स्थानांतरणकर्ता से की जानी चाहिए, जैसा कि वह ही मान्य करदाता हो जिसके द्वारा कर, शास्ति अथवा सूद अथवा अन्य राशि का भुगतान किया जाना हो।

19. लेखों और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण एवं निरीक्षण तथा परिसर की तलाशी– इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी विहित प्राधिकारी, ऐसे किसी भी परिसर का निरीक्षण एवं तलाशी कर सकता है, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत मान्य किसी प्रकार का वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार का संचालन किया जाता हो अथवा संचालन किए जाने का संदेह हो तथा लेखों, पंजियों, लेखा बहीयों अथवा इससे संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण आवश्यक हो, आवश्यकतानुसार ऐसे लेखों, बहियों, पंजियों अथवा दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी उक्त परिसर से किसी बही, पंजी, लेखा अथवा दस्तावेज को हटाता है, अथवा वह उस स्थान के प्रभारी को वहां से हटाये गए बहियों, पंजियों, लेखों अथवा दस्तावेजो की पावती देगा है, और इसे आवश्यकतानुसार परीक्षण अथवा अभियोजन के उद्देश्य से केवल वांछित अवधि के लिए रखेगा।

20. आधिक्य की कर–वापसी – विहित प्राधिकारी, ऐसे सभी कर की राशि, शास्ति, सूद अथवा अन्य राशि के आधिक्य की कर–वापसी, करदाता को करेगा, यदि कोई हो, जो करदाता के देयता से अधिक हो। कर–वापसी को या तो नगद आधार पर, करदाता के कर में से आधिक्य की कटौती के विकल्प के अनुसार ऐसे कर, शास्ति, सूद अथवा अन्य राशि के आधिक्य को जो अन्य किसी अवधि में देय हो, करेगा।

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ऐसे आधिक्य की किसी बकाया राशि को, जिसके लिए धारा 9 के अंतर्गत नोटिस प्रदान किया गया हो, वसूली के लिए प्रयोग करेगा और शेष राशि यदि कोई हो, कर वापसी करेगा।

21. अपराध एवं शास्ति – कोई भी करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अधीन निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन में बिना किसी पर्याप्त कारणों से चूक करता है, अपराध सिद्धि पर, शास्ति के साथ दंडित किया जाएगा, जो रुपए पाँच सौ से कम नहीं होगा लेकिन रुपए पाँच हजार से अधिक नहीं होगा, तथा जब अपराध लगातार प्रकृति का हो तब इस हेतु शास्ति दोष के लगातार दिवसों के लिए प्रतिदिन रुपए दस से कम नहीं होगा तथा यह रुपए बीस से अधिक नहीं होगा।

22. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो, ऐसे सभी व्यक्ति जो अपराध होने के दौरान प्रभारी हों अथवा ऐसे कंपनी तथा इसके साथ–साथ उसके व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हों, उन्हें इस अपराध हेतु दोषी माना जाएगा तथा इस हेतु उनके विरूद्ध अभियोजन करने तथा दंडित किए जाने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु यह कि इस धारा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दंडित करने हेतु मान्य नहीं किया जा सकता, यदि वह प्रमाणित करे कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया हो अथवा उसने उक्त अपराध से बचने के लिए आवश्यक तत्परता बरती हो।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों के रहते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत जहाँ अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तथा यह साबित होता है कि किए गए अपराध की मंशा, सहमति के साथ किया गया है अथवा किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया हो, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को इस अपराध हेतु दोषी माना जाएगा तथा इस हेतु उनके विरूद्ध कार्यवाही करने एवं तदनुसार दंडित किए जाने के लिए बाध्य होगा।

व्याख्याः इस धारा के उद्देश्य से;

(क) "कंपनी" का तात्पर्य है कोई भी निकाय निगमित तथा जिसमें कोई विदेशी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य सहयोगी शामिल हो; तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य है फर्म में साझेदार।

23. कार्यवाही के स्थानांतरण की शक्ति– आयुक्त, व्यक्ति को सुने जाने के तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के उपरान्त, जहाँ तक ऐसा करना आवश्यक हो, तथा उसके कारणों का प्रलेखन करने के बाद, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के स्थानांतरण के लिखित आदेश के रूप में, उसके द्वारा किसी अन्य अधिकारी को, तथा इसी प्रकार ऐसे किसी भी कार्यवाही (इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही में किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा पूर्व में स्थानांतरित कार्यवाही भी शामिल है) को किसी भी अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को या स्वयं को स्थानांतरित कर सकता है।

व्याख्याः इस खंड में करदाता के संबंध में प्रयुक्त शब्द "कार्यवाही" को किसी अन्य आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसका तात्पर्य है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष से संबंधित वह सभी कार्यवाहियों, जो ऐसे आदेश पारित होने की तिथि में लंबित हो अथवा उस तिथि को या उसके पूर्व ही पूर्ण किए जा चुके हों, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों को शामिल करता है जो करदाता के संबंध में किसी वर्ष से जुड़े ऐसे आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके बाद प्रारंभ किए गए हों।

24. अपराधों का प्रशमन – (1) विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध हेतु कार्यवाही के संस्थापन करने के पूर्व अथवा उसके बाद, किसी भी करदाता को जिसपर अपराध का दोषारोपण किया गया हो, ऐसी राशि का भुगतान करने के उपरान्त, प्रशमन प्रदान कर सकता है, जो वसूलनीय कर राशि के दोगुणा से अधिक नहीं होगी।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई ऐसी राशि का भुगतान करने पर, उस अपराध के संबंध में अग्रेतर कोई भी कार्यवाही उस व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जा सकेगी।

(3) उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अथवा प्रलेखित कोई कार्यवाही अंतिम होगी तथा इसके उपरान्त इसमें संशोधन हेतु किसी भी अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

25. हाज़िरी आदि कार्यान्वित करने की शक्ति– आयुक्त तथा विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत वही अधिकार होंगे जो न्यायालय के समक्ष कोड ऑफ सिविल प्रोसिज़र, 1908 के अधीन निहित हैं, जहाँ मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को शपथ पर अथवा अभिपुष्टि किए जाने पर हाज़िर होने तथा जाँच के अधीन कार्यान्वित करने अथवा किसी दस्तावेज या लेखा को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने की शक्ति है।

26. न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन– इस अधिनियम तथा इसके तहत निर्धारित नियमों के अधीन कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी मामले, और रद्द करने या संशोधित करने की कार्यवाही, अथवा किसी कर–निर्धारण, आदेश अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा जारी/लिए गए निर्णय की वैद्यता पर सद्भावना, अथवा इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी मामले के संबंध में प्रश्न नही करेगा।

27. सद्भाव विचार से की गई कार्रवाई का संरक्षण– इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अनुसार जारी किसी नियम या आदेश के अनुसार सरकार अथवा विहित प्राधिकारी अथवा ऐसी

कार्रवाई हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसा कोई भी मामला, अभियोजन, अथवा अन्य कार्यवाही को नहीं रखा जाएगा।

28. प्रत्यायोजन की शक्ति– आयुक्त, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्याधीन जैसा कि सरकार सामान्यतया या विशिष्ट आदेश के अधिरोपण पर, लिखित रूप में अपने अधीनस्थ, विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य तौर पर अथवा विशेष मामलों और वर्गों के तौर पर अपनी किसी या सभी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

29. अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति– (1) सरकार, किसी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की किसी अनुसूची के किसी भी प्रविष्टि या मद को संशोधित, परिवर्तित, जोड़ या विलोपित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम में किए गए उक्त अनुसूची में उल्लेखित किसी मद अथवा प्रविष्टि के सभी संदर्भ अनुसूची में संबंधित मद के अर्थ होंगे जिसे इस धारा में प्रदत शक्तियों के आधार पर संशोधित किया गया है।

30. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वृत्तिकर की उगाही नहीं करना– स्थानीय प्राधिकारी के गठन अथवा स्थापना के अभिशासन के लिए किसी भी प्रकार के कार्यान्वयन के रहते हुए भी, किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा, अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उपरान्त, किसी भी प्रकार के पेशे, व्यापार, आजीविका अथवा रोजगार पर वृत्तिकर की उगाही नहीं करेगा।

31. नियमावली बनाने की शक्ति– (1) सरकार, किसी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के सभी अथवा कुछ उद्देश्यों के संचालन हेतु नियम का निर्धारण कर सकती है।

(2) विशेष रूप में तथा पूर्ववर्ती शक्तियों के बिना किसी पूर्वाग्रह से, किसी आवेदन करने के संबंध में प्रपत्रों की आपूर्ति, प्रमाणपत्रों के प्रदान तथा पुनरीक्षण हेतु अपील या आवेदनों पर भुगतेय शुल्क हेतु नियम का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है तथा दायर किए गए दस्तावेजों और आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति हेतु आवेदनों पर भी शुल्क निर्धारण कर सकती है।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों को इसके गठन के छः माह के भीतर, राज्य की विधान सभा के समक्ष, उसके सत्र के दौरान, अथवा सत्र के नहीं चलने पर चौदह दिनों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद वाले सत्र में रखा जाएगा, जो एक या दो क्रमशः सत्रों में सत्र के समाप्त होने के पूर्व विधान सभा द्वारा किसी संशोधन अथवा किसी नियम को निष्प्रभाव किए जाने के स्वीकृति पर, वह नियम, उसके संशोधन अथवा निष्प्रभाव की अधिसूचना की तिथि से, मामले के अनुसार संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी माना जाएगा। ऐसा किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निष्प्रभाव पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा नियम के अधीन पूर्व में किए गए कोई **कार्य उसकी वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।**

32. निरसन और व्यावृतियाँ– (1) अंगीकृत पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 177, 178, 179 तथा अंगीकृत बिहार नगर–पालिका अधिनियम, 1922 की चौथी अनुसूची के अध्याय IVA के साथ पठित गया तथा इसके अनुसार गठित नियमों और निर्गत अधिसूचनाओं को, इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से निरसित किया जाता है, तथा प्रभावी तिथि के उपरान्त इसे "निरसित अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(2) निरसन से –

क) निरसन के प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह पुनः प्रवर्तित नहीं होगी, या

ख) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारी तिथि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या

ग) निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या

घ) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित कोई अन्वेषण, जांच, निर्धारण, कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार प्रभावित नहीं होगा और उपरोक्तानुसार किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अथवा निरसित अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी की गई या प्रवर्तित किसी कार्यवाही या उपचार को इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित माना जाएगा।

(3) निरसित अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए, सभी नियम, आदेश, की गई नियुक्तियॉ एवं प्रकाशित अधिसूचनाऍ, प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रदत्त शक्तियॉ एवं अन्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रमिक रूप से निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त अथवा किए हुए माने जाएंगें जब तक कि उक्त नियम और अधिसूचनाऍ इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो अथवा परिवर्तित, अधिक्रमित अथवा रद्द नहीं किये गये हों।

(4) किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में निरसित अधिनियमों की किसी धारा के बारे में कोई निर्देश इस अधिनियम की संगत धारा के लिए निर्देशित करना माना जाएगा, जब तक कि उक्त नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते।

(5) इस अधिनियम में उपबंधित परिसीमा उत्तरवर्ती रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले घटित होने वाली सभी घटनाएं और उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे निरसित अधिनियमों में उपबंधित परिसीमा या अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

33. विधिमान्यकरण एवं विमुक्ति– (1) कोई करदाता जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत प्रभार का भुगतान करने के लिए लगातार जिम्मेदार होता, यदि यह अधिनियम लागू नहीं होता, इस अधिनियम में संलग्न की गई अनुसूची के अंतर्गत कर के भुगतान के लिए मान्य होगा।

(2) इस अधिनियम में कहीं भी शामिल रहते हुए भी –

(क) कोई करदाता जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो, निर्धारी दिवस की अवधि के होने पर भी, जिसके लिए वह जिम्मेदार है, विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी निर्धारी दिवस पर प्रारंभ होता हो तथा ऐसे निर्धारी दिवस की समाप्ति पर, इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले कर के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो निर्धारी दिन के तुरंत पहले दिवस में कर का भुगतान निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करता है तथा एक पृथक विवरणी शेष बची अवधि के संबंध में प्रस्तुत करेगा।

(ख) कोई करदाता, जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु अब जिम्मेदार नहीं है तथा जिसके लेखा, पंजियों अथवा दस्तावेजों को जब्ती किया गया हो, निर्धारी दिवस अथवा इसके बाद भी निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाए रखा जाएगा;

(ग) निरसित अधिनियम तथा उसके अधीन नियमावली में विहित सभी प्रपत्र जो निर्धारी दिवस के तुरंत पूर्व दिन में लागू थे, ऐसे निर्धारी दिवस के प्रभाव के दिन से लागू होंगे तथा इस उद्देश्य हेतु आवश्यक परिवर्तन के सहित जिसके लिए वे प्रयुक्त किए गए थे, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किए जाने तक, तथा ऐसे प्रपत्रों को राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर, उसकी ओर से अधिसूचना के द्वारा इसके उपयोग के समाप्त किए जाने तक मान्य होगा;

(घ) निरसित अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमावली के अन्तर्गत निर्धारी तिथि के पूर्व कोई विहित प्रपत्र जो करदाता द्वारा या करदाता को, विहित प्राधिकारी से प्राप्य या प्राप्त हो या कोई घोषणापत्र जो करदाता द्वारा देय हो या दिया गया हो या देय कर, की वैधता निर्धारी तिथि के बाद भी वैध रहेगी जहाँ विहित प्रपत्र प्राप्त किया गया है या ऐसे विहित प्रपत्र दाखिल किए गए है।

(ङ) निरसित अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन अथवा कोई संदर्भ से संबंधित आवेदन जो निर्धारी दिवस के पूर्व जारी किसी आदेश से जुड़ा हुआ हो, अथवा ऐसे निर्धारी दिवस के पूर्व विहित प्रपत्र के लिए कोई आवेदन ऐसे निर्धारित तिथि के पूर्व किसी अवधि के लिए अथवा निर्धारी दिवस के पूर्व लंबित मामले को निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तदनुसार निष्पादित किया जाएगा;

(च) यदि निरसित अधिनियम के अंतर्गत विर्निदिष्ट प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी जिसके पास इस संबंध में विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ निहित हैं, निरसित अधिनियम के अधीन अथवा उसके अपने स्वविवेक से, निर्धारी दिवस के पूर्व जारी किसी आदेश की समीक्षा अथवा पुनरीक्षण निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तदनुरूप कर सकेगा;

(छ) निरसित किया गया कोई भी कर अथवा भुगतान योग्य कर के संबंध में निरसित अधिनियम के अंतर्गत प्रभारित कोई शास्ति, जो निर्धारित तिथि के पूर्व किया गया हो, निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तदनुरूप भुगतेय होगा अथवा वसूलनीय होगा।

34. विमुक्त करने की शक्तियाँ –

जहाँ राज्य सरकार का यह अभिमत हो कि लोकहित में अथवा किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो, तो वह अधिसूचना के माध्यम से किसी भी व्यक्तियों के श्रेणी या किसी नियोजक या नियोजक की श्रेणी को, वैसी शर्त्तो के अधीन, यदि कोई हो तो, जो उक्त अधिसूचना में वर्णित हो, इस अधिनियम के समस्त अथवा किसी भी प्रावधानों के प्रभाव से वैसी अवधि हेतु, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, विमुक्त कर सकती है।

35. कठिनाईयों के निवारण की शक्तियाँ –

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई सामने आती है, तो राज्य सरकार अवसर के आवश्यकतानुसार आदेश देकर उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है बशर्त्ते वे इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों।

झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011

अनुसूची

(3 धारा को देखें)

विष्टि संख्या	करदाता का वर्ग	कर की दरः प्रतिवर्ष
(1)	(2)	(3)
1	वेतन एवं पारिश्रमिक अर्जक, ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन अथवा पारिश्रमिकः	
	(i) रु. 3,00,000/- तक	शून्य
	(ii) रु. 3,00,001/- से रु. 5,00,000/- तक की श्रेणी	1200/- प्रतिवर्ष
	(iii) रु. 5,00,001/- से रु. 8,00,000/- तक की श्रेणी	1800/- प्रतिवर्ष
	(iv) रु. 8,00,001/- से रु. 10,00,000/-तक की श्रेणी	2100/- प्रतिवर्ष
	(v) रु. 10,00,000/-से ऊपर की श्रेणी	2500/- प्रतिवर्ष
2	विधिक व्यावसायी जिसमें सॉलिसीटर और नोटरी, सार्वजनिक तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक सलाहकार, जो अनुसूची से पृथक उल्लेखित किए गए है और कर सलाहकार जो इस व्यावसाय से जुड़े हुए हैं।	
	(i) तीन वर्षों तक	शून्य
	(ii) तीन से सात वर्षों तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iii) सात वर्षों से अधिक	2500/- प्रतिवर्ष
3	(i) मुख्य अभिकर्ता, प्रमुख अभिकर्ता, विशेष अभिकर्ता, बीमा अभिकर्ता तथा पर्यवेक्षक अथवा हानि कर–निर्धारक जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम IV) के अधीन पंजीकृत अथवा लाइसेंसीकृत, जिनकी वार्षिक आय रु.40,000/– से कम नहीं है।	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) छोटे अभिकर्ता अथवा यूटीआई अभिकर्ता जिनकी वार्षिक आया रु.20,000/– से कम नहीं है	300/- प्रतिवर्ष
	(iii) राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत पोस्टल अभिकर्ता अथवा मुख्य अभिकर्ता, प्रमुख अभिकर्ता, विशेष अभिकर्ता जिनकी वार्षिक आय रु. 40,000/– से कम नहीं है	2,500/- प्रतिवर्ष
4	प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नीलामीकर्ता, कमीशन अभिकर्ता और डेल क्रेडेअर अभिकर्ता	2,500/- प्रतिवर्ष
5	(a) एस्टेट अभिकर्ता और ब्रोकर्स	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) ठेकेदार	
	(i) ठेकेदारों के पंजीयन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न वर्ग के अंतर्गत आनेवाले ठेकेदार	
	(a) प्रथम श्रेणी के ठेकेदार	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार	2,000/- प्रतिवर्ष
	(c) तृतीय श्रेणी के ठेकेदार	1,000/- प्रतिवर्ष

	(ii) उप–श्रेणी में नहीं आने वाले ठेकेदार (i) उपरोक्त उल्लेखित तथा किए जाने वाले कार्य, वर्ष में कार्यान्वित किए गए ठेके हैं --	
	(a) रुपए दस लाख से कम	1,500/- प्रतिवर्ष
	(b) दस लाख से अधिक	2,500/- प्रतिवर्ष
6	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निदेशक (सरकार द्वारा नामित किए हुए को छोड़कर)	2,500/- प्रतिवर्ष
7	झारखंड वैट अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु बाध्य डीलर्स/व्यापारी (मद संख्या 18 में दिए गए को छोड़कर) जिनका कुल वार्षिक कारोबार किसी भी वर्ष में निम्न श्रेणी मे आता हो:–	
	(a) रु. 5,00,000/- तक	शून्य
	(b) रु. 5,00,001/- से रु. 10,00,000/- तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(c) रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/- तक	1,500/- प्रतिवर्ष
	(d) रु. 25,00,001/- से रु. 40,00,000/- तक	2,000/- प्रतिवर्ष
	(e) रु. 40,00,000/- से अधिक	2,500/- प्रतिवर्ष
8	झारखंड वैट अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु गैर–बाध्य डीलर्स/व्यापारी (मद संख्या 18 में दिए गए को छोड़कर) तथा वे जो उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के अनुसूची–1 में दिए गए सामानों का व्यापार करते हैं, तथा जिनका वार्षिक कारोबार किसी भी वर्ष में निम्न श्रेणी में आता हो :–	
	(a) रु. 3,00,000/- तक	शून्य
	(b) रु. 3,00,001/- से रु. 10,00,000/- तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(c) रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/- तक	1,500/- प्रतिवर्ष
	(d) रु. 25,00,001/- से रु. 40,00,000/- तक	2,000/- प्रतिवर्ष
	(e) रु. 40,00,000/- से अधिक	2,500/- प्रतिवर्ष
9	कारखानों के अधिभोगी जैसा कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 में निर्दिष्ट किया गया है, जो मद संख्या 7 में शामिल नहीं हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
10	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित स्थापनाओं के नियोक्ता, ऐसी स्थापनाओं के नियोक्ता जो व्यापारी नहीं हैं तथा मद संख्या 7 में शामिल नहीं किए गए हैं	
	(i) जहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं हैं	शून्य
	(ii) जहाँ 5 से अधिक कर्मचारी कार्यरत नहीं	500/- प्रतिवर्ष
	(iii) जहाँ 5 से अधिक लेकिन 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iv) जहाँ 10 से अधिक लेकिन 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं	2,000/- प्रतिवर्ष
	(v) जहाँ 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
11	(a) पेट्रोल/डीज़ल फीलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, गैरेज एवं ऑटोमोबाईल वर्कशॉप के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) चावल मिल, तेल मिल, दाल मिल, लघु स्पात संयंत्र, रि–रोलिंग मिल, फाउन्ड्रीस, टनरीस, स्टोन क्रशर्स, बॉटलिंग इकाई, डिस्टीलरीस, टाईल फैक्टरी, बिस्कुट फैक्टरी, सेरामिक्स, और फार्मास्युटिकल लैब, प्रिंटिंग प्रेस (बिजली के साथ), फूट कैनिंग इकाई के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(c) नर्सिंग होम एंव हॉस्पिटल (राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित को छोड़कर) के स्वामी	2,500/- प्रतिवर्ष

	अथवा पट्टाधारी	
	(d) पैथोलॉजी जाँच लैब और एक्सरे क्लीनिक के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(e) ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनर तथा इंटिरियर डेकोरेटर्स के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(f) तेल घानी (बिजली के साथ), तेल चक्की (बिजली के साथ), हॉलर मिल, काजू फैक्टरी, डिकार्टेकेटिंग मिल, आरा मिल, कपास ओटाई अथवा प्रसंस्करण फैक्टरी, लघु आटा मिल (भाड़े पर संचालित), गोंद विनिर्माण इकाई, बेकरी, होसियरी विनिर्माण इकाई सिमेंट फर्श अथवा स्टोन विनिर्माण इकाई (वे जो प्रविष्टि 7 में शामिल तथा प्रविष्टि 10 के (अ) और (फ) के उद्देश्यों के लिए है को छोड़कर) के स्वामी अथवा पट्टाधारी	1,500/- प्रतिवर्ष
12	(a) आवासीय होटल अथवा लॉजिंग हाउस जिसमें 10 से कम कमरे नहीं है के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) (i) थिएटर के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) टूरिंग टाकिज के मालिक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iii) विडियो पार्लर के मालिक	1000/- प्रतिवर्ष
	(iv) केबल टीवी संचालक जिसमें सिग्नल प्रदाता, केबल किराएदार तथा उसके अभिकर्ता शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
13	ट्रांसपोर्ट वाहन के धारक (ऑटोरिक्शा को छोड़कर) जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परमिट प्रदान किया गया है	2500/- प्रतिवर्ष प्रति प्रत्येक वाहन
	ट्रांसपोर्ट वाहन के धारक (दो ऑटोरिक्शा को छोड़कर) जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परमिट प्रदान किया गया है	1000/- प्रतिवर्ष प्रति प्रत्येक वाहन
14	ऋण/उधारी प्रदान करने वाले, जिन्हें धन के आदान–प्रदान करने संबंधी कानून के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त हो, वित्तीय अभिकरण, जो वर्तमान में राज्य में लागू हो (a) वे जो वर्ष में पंद्रह लाख और इससे अधिक राशि उधार में देते हैं (b) उपरोक्त (a) में उल्लेखित के अलावा	 2,500/- प्रतिवर्ष 1,500/- प्रतिवर्ष
15	चिट फंड का संचालन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएँ	2,500/- प्रतिवर्ष
16	सहकारी समितियाँ जो संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और किसी पेशे, व्यापार अथवा आजीविका से जुड़े हैं:	
	(i) राज्य स्तर की समितियाँ	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) बैंक, ग्रामीण बैंको को मिलाकर	2,500/- प्रतिवर्ष
	(iii) जिला स्तर की समितियाँ	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iv) विकासखंड/पंचायत स्तर की समितियाँ	500/- प्रतिवर्ष
	(v) ग्राम स्तर की समितियाँ	100/- प्रतिवर्ष
17	बैंकिंग कंपनी जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित है	2,500/- प्रतिवर्ष
18	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियाँ जो पेशे, व्यापार अथवा आजीविका से जुड़े हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
19	फिल्म के प्रत्येक साझेदार जो किसी पेशे, व्यापार अथवा आजीविका से जुड़े हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
20	चार्टर्ड अकाउन्टेंट, जिनका पेशा है:– (i) दो वर्षों से कम नहीं, लेकिन पाँच वर्षों से अधिक नहीं (ii) पाँच वर्षों से कम नहीं	 1,000/- प्रतिवर्ष 2,500/- प्रतिवर्ष
21	मेडिकल प्रैक्टिसनर, जिसमें मेडिकल परामर्शदाता (आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी औषध प्रणाली के पेशावरों को	

	छोड़कर), दंतचिकित्सक, रेडियोलाजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और वे व्यक्ति जो पैरामेडिकल के इसी प्रकार के पेशे अथवा आजीविका से जुड़े हुए हैं	
	(i) दो वर्षों से कम	शून्य
	(ii) दो वर्षों के पश्चात	2,500/- प्रतिवर्ष
22	इंजिनियर्स, आरसीसी सलाहकार, वास्तुविद और प्रबंध सलाहकार	
	(i) दो वर्ष से कम	शून्य
	(ii) दो वर्षों के पश्चात	2,500/- प्रतिवर्ष
23	(a) फिल्म के वितरक और ट्रैवल एजेंट जो निम्न उप–मद (b) के अंतर्गत नहीं आते हैं,	1,000/- प्रतिवर्ष
	(b) एयर ट्रैवल एजेंट	2,500/- प्रतिवर्ष
24	पत्रकार	600/- प्रतिवर्ष
25	विज्ञापन संस्थाएँ/ अभिकरण	2,500/- प्रतिवर्ष
26	जॉब कार्य हेतु फोटोकॉपी मशीन (एक मशीन) का उपयोग करने वाले व्यक्ति	शून्य
	जॉब कार्य हेतु फोटोकॉपी मशीन (एक मशीन से अधिक) का उपयोग करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
27	विडियो कैसेट लाईब्रेरी जिसमें सीडी/डीवीडी भी आते हैं	1,500/- प्रतिवर्ष
28	शैक्षणिक संस्थान और ट्यूटोरियल, कॉलेज अथवा वे संस्थान जो राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है	
	i) ट्यूटोरियल जहाँ कक्षा 7वीं तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं	1,500/- प्रतिवर्ष
	ii) ट्यूटोरियल जहाँ कक्षा 10वीं तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं	2,000/- प्रतिवर्ष
	iii) जूनियर कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान और ट्यूटोरियल जहाँ 10वीं एवं 10+2 से उपर की कक्षाएँ संचालित होती हों	2,500/- प्रतिवर्ष
29	टाईपिंग संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान जहाँ शार्टहैंड और टाईपिंग सीखाया जाता हो	1,000/- प्रतिवर्ष
30	वे व्यक्ति जो एसटीडी/आईएसडी बूथ संचालक/स्वामी, उन्हे छोड़कर जो सरकार द्वारा अथवा शारीरिक विकलांग द्वारा संचालित हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
31	प्रापर्टी डेवेलपर्स जिसमें भूमि विकास करने वाले और भवन/फ्लैट बनाने वाले शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
32	व्यक्ति जो निम्न का संचालन करने/स्वामी हैं	
	(a) इंटरनेट अथवा साईबर कैफे	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान	2,500/- प्रतिवर्ष
	(c) ड्राईविंग संस्थान/टेक्नीकल प्रशिक्षण संस्थान	1,000/- प्रतिवर्ष
33	वे व्यक्ति जो विवाह हॉल/कल्याण मंडप के स्वामी हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
34	आउटडोर फिल्म शूटिंग इकाई के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
35	(a) वन के ठेकेदार	750/- प्रतिवर्ष
	(b) ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रांसपोर्ट ठेकेदार जिसमें फार्वर्डिंग और क्लीयरिंग एजेंट शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
	(c) बैंकर जो हुंडी के समक्ष वित्त का व्यापार करते हैं अथवा अन्य प्रतिभूति जो लघु–अवधि अग्रिम के ब्याज पर हो	2,500/- प्रतिवर्ष

36	(a) स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत सहायक	550/- प्रतिवर्ष
	(b) सब–ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
	(c) धर्म काँटा संचालन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
	(d) कूरियर सर्विस का परिचालन अथवा संचालन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
	(e) कोल्ड स्टोरेज के स्वामी अथवा पट्टेदार	2,500/- प्रतिवर्ष
	(f) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सलाहकार तथा वे व्यक्ति जो इस तरह के कार्य से जुड़े हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
	(g) सेक्यूरिटी कार्मिक प्रदान करने वाली एजेंसियाँ	2,500/- प्रतिवर्ष
	(h) ई–कामर्स और ई–नीलामी के पेशे का संचालन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
	(i) आयोजनो, पेजेन्ट्स, फैशन शो और इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
37	अन्य सभी व्यक्ति, जो उपरोक्त प्रविष्टियों में उल्लेख किए गए किसी भी मद में नहीं आते हों, तथा किसी पेशे, व्यापार अथवा आजीविका या रोजगार से जुड़े हैं	1,000/- प्रतिवर्ष

व्याख्या I – किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद, किसी स्वरोजगार की शाखा के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाता जो मद संख्या 2 से 37 की अनुसूची में आते हो, एक पृथक करदाता के उद्देश्य से अनुसूची के विशेष उल्लेखित वृत्तिकर का भुगतान करने/देने हेतु बाध्य होगा।

व्याख्या II – किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद, जहाँ किसी करदाता को यहाँ एक से अधिक प्रविष्टियों की अनुसूची में शामिल किया गया है, ऐसे मामले में उन प्रविष्टियों के अंतर्गत अधिकतम निर्धारित कर के दर से कर का भुगतान करने हेतु मान्य होगा।

व्याख्या III – कर के दर की बाध्यता के निर्धारण के उद्देश्य हेतु इस अनुसूची में क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि के संबंध में और कर्मचारियों की अधिक संख्या और/या वर्ष के दौरान किसी भी समय में किए गणना के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

व्याख्या IV – "कारोबार" अथवा "सकल कारोबार" को निर्धारित करने के उद्देश्य से झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के संदर्भ में परिभाषित तथा उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार मान्य होंगे।

व्याख्या V – 'ठेकेदार' शब्द का प्रयोग 'कार्य संविदा' और 'कार्य ठेकेदार' के अभिप्राय से ही लिया गया है जैसा कि झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के संदर्भ में परिभाषित तथा उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार हैं।

व्याख्या VI – "प्रतिवर्ष" की शब्दावली जिसका प्रयोग अनुसूची में किया गया है, का तात्पर्य 'प्रत्येक वर्ष' है।

यह विधेयक झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011 दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 80--50--30-12-2011 ।